

## कामोल्य जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक विद्यालय) सेरोही राजस्थान

संख्यांक : 307

दिनांक :

प्रश्नपत्रक,

**विषय :** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय की मान्यता प्रमाण-पत्र।

गहोवय/गहोदया.

आपके दिनांक ..... के आदेश और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से **विद्यालय में मौरियन छुट्टी** को सब 2012-13 के लिये कक्षा-1 से कक्षा 12 (अंतिम माध्यम) तक 31 नवंबर 2013 तक के लिये अनिवार्य मान्यता प्रदान करने की सर्वूक्ता देता हूँ। उपरोक्त रवीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंध के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (उपांच्च 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपांच्च 2) के उपर्योग का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ीस के कगजोर वर्षों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उसे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. ऐसा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय उन अधिनियम की धारा 12 (2) के उपर्योग के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का समाहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके पाता-पिता या संरक्षक को किसी रुकीर्णि प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आवृत्ति का प्रमाण न होने पर उस प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और यदि ऐसा प्रवेश जन्म रथान् धम् जाति या प्रजाति या इ.स. तक एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरकर्ती बाढ़ा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि

1. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी अधिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कालित नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी बालक को शारीरिक दड़ या गान्सिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
3. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई कोई विकास उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
4. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
5. अधिनियम के उपर्योग के अनुसार निःशयता प्रस्तुत देने वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

6. अध्यापकों की गर्भी अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकाधित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंताएं नहीं हैं, यद्यपि वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताएं अर्जित करेंगे।
7. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट आपके कर्तव्यों का पालन करता है, और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में अधिकाधित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के नामकों और संनियमों को बनाए रखेगा तथा वर्तमान में आपके विद्यालय में उपलब्ध भौतिक रासाधन आपके द्वारा प्रस्तुत स्वयोषण प्रपत्र 1 में लिखे गए दिखाए गए हैं।
11. विद्यालयों के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं बलाई जाएंगी।
12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
13. विद्यालय को राजस्थान रोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1953 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा बलाया जा रहा है।
14. विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं घलाया जा रहा है।
15. विद्यालय के लेखाओं की बार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), सिरोही को भेजी जानी चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 4027 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो रामय समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), सिरोही द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
18. रोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
19. संलग्न उपांवध III के अनुसार अन्य कोई शर्त। विद्यालय द्वारा आरटीई की धारा 19 व 25 में वर्णित मानदण्डों (विद्यालय के लिए मान और मानक अनुसूची) को दिनोंक 31 मार्च 2013 तक पूर्ण करने की शर्त के अधीन अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

  
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)  
सिरोही